(2)

उपाध्यक्ष/अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 17-5-97 को आपकी अध्यक्षता में सम्पन्न हुई प्राधिकरण बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त सम्मुख आपके अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

(भुवनेश्वर सिंह)
उपाध्यक्ष,
म0दे0वि0प्र

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 17.5.97 में अधिकारियों/सदस्यों की उपस्थिति:-

क्रमांक	नाम व पद नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री सुभाष कुमार, मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, म० दे० वि० प्रा०	[illegible]
2.	श्री भुवनेश्वर सिंह, उपाध्यक्ष, म० दे० वि० प्रा०	
3.	श्री भूपेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी, देहरादून।	
4.	श्री विनोद कुमार चमोली, अध्यक्ष, नगरपालिका, परिषद, दे० दून।	विनोद
5.	श्री जोत सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका, परिषद, मसूरी।	[illegible]
6.	दिवाकर सिन्हा, उपप्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वनप्रभाग	[illegible]
7.	एस. के. सिंहल अधि. अभि. प्रा. खण्ड लो. नि. वि. देहरादून	[illegible] 17/5
8.	टी. एन. त्रिपाठी अधीक्षण अभि. जल निगम देहरादून	[illegible] 17.5
9.	विश्व रंजन गौड़ उ. व. स. गढ़वाल.	[illegible]
10.	एम. पी. अरोड़ा वरिष्ठ नियोजक नगर एवं ग्रा नि० विभाग देहरादून	[illegible]
11.	एस. एम. बंसल - सहयुक्त नियोजक, देहरादून	[illegible]
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 17.5.97 में अधिकारियों की उपस्थिति:-

क्रमांक	नाम व पद नाम	
1	श्री सुभाष कुमार, मण्डलायुक्त/अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	श्री भुवनेश्वर सिंह, उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0	उपाध्यक्ष
3.	श्री भूपेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी, देहरादून	अध्यक्ष
4.	श्री विनोद चमोली, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सदस्य	
5.	श्री जोत सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद म0 सदस्य	
6.	श्री एम0पी0अनेजा, वरिष्ठ नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ ।	
7.	श्री एस0सी0सिंहल, अधि0अभि0प्रा0खण्ड, लो0 नि0वि0, देहरादून ।	
8.	श्री टी0एन0विधानी, अधी0अभि0, जल निगम देहरादून ।	
8.	श्री विश्व भूषण गौड़, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल मण्डल	

अन्य उपस्थिति:

1. श्री पंकज गंगवार, सचिव, म0दे0वि0प्रा0देहरादून।
2. श्री दिवाकर सिंहा, उप प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
3. श्री एम0एम0खाँ, सहयुक्त नियोजक, देहरादून ।
4. श्री विरेन्द्र मोहन उनियाल, सहा0लेखाधिकारी, म0दे0वि0प्रा0देहरादून ।
5. श्री आर0जी0सिंह, सहायक नगर नियोजक, म0दे0वि0प्रा0 देहरादून ।

---2

गत बैठक की कार्यवाही

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यो का स्वागत करते हुए उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को गत बैठक की अनुपालन आख्या पढ़ने के निर्देश दिए। तदनुसार सचिव द्वारा गत बैठक का कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या पढ़ी गयी तथा सर्व सम्मति से उक्त कार्यवृत्त व अनुपालन आख्या की पुष्टि की गयी।

विषय क्रमांक:1

माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका सिविल संख्या 749/96 माननीय उच्चतम न्यायालय अनुश्रवण समिति बनाम मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 29.11.96 का मा०उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के परिप्रेक्ष्य में मसूरी महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत भविष्य में मानचित्र स्वीकृत किए जाने पर विचार।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशो तथा मानीटरिंग कमेटी के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

विषय क्रमांक:2

वर्ष 1997-98 का प्रस्तावित बजट प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

बजट चर्चा के प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सहायक लेखाधिकारी, म०दे०वि०प्रा० द्वारा पढ़ा गया। वर्ष 1997-98 का प्रस्तावित बजट 1217.25 तथा व्यय 1176.40 दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनियों में रिक्त भवनो को आवंटित करने पर विशेष बल दिया, जिस पर उपाध्यक्ष महोदय, म०दे०वि०प्रा० द्वारा बताया गया कि आवासीय कालोनियों में रिक्त भवनो के पंजीकरण पुन: खोले जा रहें तथा इनका प्रकाशन स्थानीय तथा राष्ट्रीय समाचार पत्रो में भी करवाया है ताकि भवनो का निस्तारण तत्काल हो सके।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि प्राधिकरण द्वारा जो कालोनियाँ बनायी गयी है, उनमें सड़क, पानी तथा बिजली की समुचित व्यवस्था की जाये तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1217.25 आय के सापेक्ष रूपये 1176.40

---3

व्यय का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

विषय क्रमांक:3

शमन उपविधि 1996 को लागू किए जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। शमन उपविधि 1996 को प्राधिकरण में लागू किए जाने पर विचार व्यक्त किये गये। श्रीएम0पी0 अनेजा, वरिष्ठ नियोजक, ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ द्वारा आंशिक संशोधन हेतु अपना प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के सम्मुख रखा। जैसे न्यूनतम दर में न्यूनतम शब्द को हटाया जाना, पृष्ठ संख्या 26 पर बिन्दु 5 के (क) में कम हो शब्द को बढ़ाया जाना तथा पृष्ठ संख्या 27 के बिन्दु 10 पर दो गुना से उच्च के स्थान पर दो गुना करना व पृष्ठ संख्या 29 के बिन्दु 10 में अनुसूची के बाद क्रमांक-3 जोड़ा जाना।

प्रस्ताव उपरोक्त संशोधनो के साथ सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा शासन को अनुमोदन भेजे जाने के निर्देश दिए गये ।

विषय क्रमांक:4

परमिट शुल्क में आंशिक संशोधन व अतिरिक्त प्रस्ताव सम्मिलित किए जाने के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी । विचारोपरान्त विषय क्रमांक-4 के बिन्दु 1 को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा अन्य बिन्दुओ पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सम्यक परीक्षण के उपरान्त पुनः प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए गये ।

विषय क्रमांक:5

आवासीय भवनों में साईड सैट बैक में सपोर्टिड पोर्च के शमन के सम्बन्ध में।

विस्तृत रूप से चर्चा की गयी तथा प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा सपोर्टिड पोर्च का प्राविधान बायॅलाज में ~~xxx~~ करवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

---4

विषय क्रमांक:6

प्राधिकरण में दो नए वाहन क्रय करने के लिए अनुमति प्रदान किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

प्राधिकरण में दो नए वाहन क्रय करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। चूंकि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दो वाहन नीलाम किये जा चुके है इसलिए नये वाहन क्रय किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा वाहन क्रय करने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक:7

ग्राम किशनपुर (जाखन) खसरा नम्बर-33 पर इंडियन गैस गोदाम के सम्बन्ध में ।

ग्राम किशनपुर खसरा नम्बर -33 पर इंडियन गैस गोदाम के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग चूंकि आवासीय आर-3 है परन्तु बताया गया कि वर्तमान में वहां गैस गोदाम चल रहा है।

विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से मानचित्र स्वीकृत करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा भविष्य में गैस गोदाम हेतु जोनिंग में प्राविधान करने हेतु निर्देशित किया गया।

विषय क्रमांक:8

ग्राम कांवली में महायोजना में प्रदर्शित अस्पताल/डिग्री कालेज हेतु आरक्षित भूमि का भूउपयोग परिवर्तन।

उक्त प्रस्ताव में विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध है। स्थल निरीक्षण करके मानक के हिसाब से वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में विचार करके विस्तृत प्रस्ताव अगली बोर्ड मीटिंग में रखा जाये।

---5

लागत पर उपलब्ध करायी जायेगी तो डेयरी वाले लेने को तैयार हो जायेगे । यह भी निर्देश दिए कि प्रश्नगत भूमि का स्थल निरीक्षण कर लिया जाये तथा डेयरी वालो से वार्ता करने के बाद न्यूनतम लागत से विकास कार्य करवाया जाये। यदि आवश्यकता हो तो रीवर की साईड में पुस्ते का भी निर्माण कार्य करवाया जाये।

विषय क्रमांक:5

देहरादून=हरिद्वार रोड व देहरादून-सहारनपुर रोड को जोड़ने वाले बाईपास रोड पर नगर के भावी विस्तार के लिए 100 एकड़ भूमि को अधिग्रहण अथवा आपसी वार्ता के आधार पर क्रय करनें के सम्बन्ध में ।

बाईपास रोड से लगी ग्राम अजबपुर कलां की 100 एकड़ भूमि विशेषकर उन भूखण्डो से लगी हुई भूमि है जो ट्रान्सपोर्ट नगर के लिए अधिग्रहित की जानी है। इस पर अध्यक्ष महोदय का यह मत था कि इस भूमि का सर्वेक्षण करा लिया जाये।

भूमि का सर्वेक्षण कराकर भूमि की उपलब्धता के अनुमोदन का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

अन्य विषय क्रमांक:5

प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर के भावी विस्तार के लिए 70 एकड़ अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

विस्तृत चर्चा हुई। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि का सर्वेक्षण, डिमाण्ड सर्वे कराकर वाइबिलिटी के परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

अन्य विषय क्रमांक:6

देहरादून में लघु उद्योगो/छोटी छोटी व्यावसायिक योजनाओ के लिए शिमला रोड तथा चन्द्रबनी रोड से लगी लगभग 100 एकड़ भूमि को अधिग्रहण/क्रय करनें के सम्बन्ध में ।

विस्तृत चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि का सर्वेक्षण कराकर, डिमाण्ड सर्वे कराकर वाइबिलिटी के परीक्षण

---7

के उपरान्त प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जये।

अन्य विषय क्रमांक:07

मसूरी नगर में प्राधिकरण की हुसैनगंज स्थित 17 एकड़ भूमि में कुछ भाग पर नैचुरल पार्क विकसित करनें के सम्बन्ध में।

मसूरी नगर क्षेत्र में हुसैनगंज क्षेत्र मे लगभग 17 एकड़ भूमि प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। उक्त भूमि आई0टी0बी0पी0एकेडमी व लाइब्रेरी कार पार्किंग स्थल के बीच स्थित है। इस भूमि पर घना जंगल विद्यमान होने के कारण पूर्व में प्राधिकरण द्वारा इस भूमि पर आवासीय कालोनी बनाये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसमें वन विभाग द्वारा आपत्ति प्रकट किये जाने के कारण सहमति प्राप्त नहीं हो पायी थी। 17 एकड़ भूमि के सही उपयोग हेतु 12 एकड़ भूमि पर नैचुरल पार्क व 05 एकड़ भूमि पर प्लाट काटकर बेचे जाये जिससे नैचुरल पार्क बनाने हेतु धनराशि उपलब्ध हो सके, का प्रस्ताव रखा गया। जिसपर अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, मसूरी ने अपना मत व्यक्त किया कि पूरे क्षेत्र में पार्क बनाया जाये क्योकि इस भूमि पर घना जंगल है और घना जंगल काटकर प्लाट बनाना उचित नहीं है।

अत: सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि का सर्वेक्षण कराकर देख लिया जाये कि क्या इस भूमि में से कुछ भाग ऐसा है जिसमें बिना जंगल को काटे कुछ प्लाट निकल सकते हैं।

विषय: क्रमांक:08

ट्रान्सपोर्ट नगर अर्न्तराज्य बस स्टैण्ड को प्राइवेट डेवलपर्स से विकसित कराने के सम्बन्ध में।

विस्तृत चर्चा हुई। विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि ट्रान्सपोर्ट नगर की भूमि के अधिग्रहण का मामला शासन के समक्ष विचाराधीन अत: उसे शीघ्र निस्तारित कराने का प्रयास किया जाये तत्पश्चात फिजिबिल्टी परीक्षण कराने के उपरान्त विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

---8

अन्य विषय क्रमांक:9

प्राधिकरण में लागू परमिट शुल्क की दरों में बढ़ोत्तरी एवं मलबा शुल्क (स्टैकिंग चार्ज) लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई। आंशिक रूप से प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्राधिकरण द्वारा स्टैकिंग चार्ज लिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अन्य विषय क्रमांक:10

किशनपुर हिमप्रस्थ योजना के सम्बन्ध में ।

विस्तृत चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हिमप्रस्थ योजना की भूमि प्राधिकरण को नगर पालिका से हस्तान्तरित किये जाने के बारे में उपाध्यक्ष, मसूरी विकास प्राधिकरण तथा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देहरादून आपसी वार्ता द्वारा निर्णय लेंगे। प्राधिकरण नगर पालिका से निःशुल्क भूमि उपलब्ध होने पर अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार गांधी पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य योजना की भूमि की एवज़ में सम्पादित करायेगा।

अन्य विषय क्रमांक:11

सामुदायिक/सांस्कृतिक केन्द्र/ओडिटोरियम/लाइब्रेरी एवं आर्ट गैलरी की स्थापना हेतु प्रस्ताव।

विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नगर पालिका परिषद द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में उक्त सामुदायिक/सांस्कृति केन्द्र/ओडिटोरियम/लाइब्रेरी एवं आर्ट गैलरी का निर्माण प्राधिकरण द्वारा कराने के उपरान्त नगर पालिका परिषद को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित कर देगा। हस्तान्तरण की शर्तें तय करने हेतु प्राधिकरण उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

---9

अन्य विषय क्रमांक:12

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न पर्यटक स्थलो के विकास हेतु 50 लाख रुपये की धनराशि रखे जाने के सम्बन्ध में ।

विस्तृत रूप से चर्चा हुई। विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यदि अन्य विभागो द्वारा विकास कार्य नहीं किया जाता है तो विस्तृत प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा तैयार कराकर शासन से अनुदान प्राप्त करनें की मांग की जाये ।

अन्य विषय क्रमांक:13

मसूरी डाईवर्जन रोड पर स्थित ग्राम मक्कावाला, दानियो का डांडा, भण्डारगांव, गुनियाल गांव, मलान गांव, मकरेती एवं भगवन्तपुर आदि गांवो को लेकर ए0आर0सी0सीमेन्ट फैक्ट्री तक के भूउपयोग कृषि/उद्यान से आवासी में परिवर्तित किए जाने सम्बन्धी।

उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि डाईवर्जन मार्ग से गुनियाल गांव स्थित ए0आर0सी0सीमेन्ट फैक्ट्री से लेकर ऋषि आश्रम तक प्राइवेट कोलोनाइजर्स द्वारा भारी संख्या में भवनो का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए अव्यवस्थित निर्माण को रोकने के लिए यह वांछित हो गया है कि उपरोक्त क्षेत्र में स्थित गांवों को जोड़ने के लिए विकास प्राधिकरण सड़को का निर्माण कराये ।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि भूमि का सर्वेक्षण करा लिया जाये कि किन स्थलो पर सड़को की आवश्यकता है? सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ताकि सड़को पर व्यय होने वाली धनराशि की स्वीकृति प्राप्त की जा सके ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

अन्य विषय क्रमांक:14

नगर पालिका परिषद को जे0सी0बी0 निःशुल्क उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद देहरादून द्वारा निःशुल्क

--10

जे०सी०वी०नगर पालिका को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव रखा।

विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर पालिका अपनी आवश्यकता एक माह पूर्व प्राधिकरण को प्रेषित करेगा तथा उपलब्धता की स्थिति में फ्यूल{एफ०ओ०एल०} का व्यय नगरपालिका परिषद द्वारा अपने स्त्रोतो से किये जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा जे०सी०वी० निशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा ।

{भुवनेश्वर सिंह}
उपाध्यक्ष,
म०दे०वि०प्रा०
देहरादून
22.5

{सुभाष कुमार}
आयुक्त
गढ़वाल मण्डल
अध्यक्ष,
म०दे०वि०प्रा०